13/4/2026

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

।। आम सूचना ।।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0–652 (अ) दिनांक–23.09.2021 द्वारा स्वचालित परीक्षण स्टेशन (Automated Testing Station) की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण, स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों के फिटनेस परीक्षण की प्रक्रिया और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों द्वारा फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना के आलोक में इच्छुक व्यक्तियों या कंपनी या संघ या व्यक्तियों के निकाय से नये स्वचालित परीक्षण स्टेशन (Automated Testing Station) की स्थापना हेतु विहित प्रपत्र–63 में नियम–188 में विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ केन्द्र सरकार द्वारा विकसित Portal (http://nsws.gov.in) के माध्यम से **दिनांक–16.02.2026 से 16.03.2026 के अपराह्न 05:00 बजे** तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

क्र0 सं0	जिला का नाम	क्र0 सं0	जिला का नाम
(i)	मुंगेर	(xv)	बेतिया
(ii)	जमुई	(xvi)	मधेपुरा
(iii)	शेखपुरा	(xvii)	अरवल
(iv)	बांका	(xviii)	खगड़िया
(v)	अररिया	(xix)	औरंगाबाद
(vi)	शिवहर	(xx)	जहानाबाद
(vii)	नवादा	(xxi)	सीतामढ़ी
(viii)	सहरसा	(xxii)	कटिहार
(ix)	किशनगंज	(xxiii)	रोहतास
(x)	वैशाली	(xxiv)	सुपौल
(xi)	नालन्दा	(xxv)	समस्तीपुर
(xii)	सारण	(xxvi)	सिवान
(xiii)	बेगूसराय	(xxvii)	दरभंगा
(xiv)	लखीसराय		

उक्त Portal के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त Portal पर आवेदन समर्पित किये जाने के पश्चात्अ **दिनांक–16.03.2026** तक फॉर्म–63 में वांछित सूचना सहित अन्य सभी वांछित कागजातों की स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं शुल्क सहित आवेदन की हार्ड कॉपी विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड़, पटना के द्वितीय तल पर स्थित परिवहन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में भी समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की उक्त अधिसूचना के आलोक में किसी स्वचालित प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु इच्छुक आवेदक या प्रचालक (Operator) के पास नियम–176 के अनुरूप निर्धारित पात्रता एवं शर्त्तों का होना आवश्यक होगा। उक्त नियम में वर्णित मुख्य अहर्त्ताएँ निम्नवत् हैं :–

1. **Certificate of Incorporation or Shop Act registration or Udyam Aadhar.**
2. **Valid Goods and Service Tax Certificate.**
3. **Valid Permanent Account Number.**
4. **The owner or operator of an automated testing station shall have a minimum net worth of three crore rupees during the last financial year and should have a positive profit after tax in the last two financial years.**
5. **The premises where the automated testing station is to be housed shall either be owned or taken on lease or hired by the owner for a period not less than ten years and registered land/lease/agreement required.**
6. **Infrastructure and manpower requirement as per the above notification.**

नोट :–

1. नियम–188 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान OGRASS-2.0(RMS) के माध्यम से परिवहन विभाग में जमा किया जाएगा।

2. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0–652 (अ) दिनांक–23.09.2021 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत ही आवेदन किया जाना अनिवार्य है।

3. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0–652 (अ) दिनांक–23.09.2021 को परिवहन विभाग के विभागीय बेवसाईट https://state.bihar.gov.in/transport/ के नोटिफिकेशन भाग से डाउनलोड किया जा सकता है।

13.2.26

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।